भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 898

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कोयले का आबंटन

898. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में पचवारा कोयला खदान से पंजाब को आवंटित कोयले के वितरण में कोई समस्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : पचवारा सेंट्रल कोयला खान को वर्ष 2015 में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को उनके तीन अंत्य उपयोग संयंत्रों अर्थात गुरु गोबिंद सिंह सुपर ताप संयंत्र, गुरु हरगो ताप संयंत्र और गुरु नानक देब ताप संयंत्र में 2640 मे.वा. की समेकित क्षमता के साथ कैप्टिव उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। जहां तक इनमें से किसी निर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र को कोयला वितरण का संबंध है, कोई समस्या सामने नहीं आई है।

(ख) : पंजाब की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति को स्थिर रखने/बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मि.ट. प्रति वर्ष की क्षमता वाले पचवारा सेंट्रल कोयला ब्लॉक के आवंटन के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पावरहाउस की ओर पर्याप्त स्टॉक बनाने में मदद करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेल-सह-सड़क (आरसीआर) मोड के तहत पीएसपीसीएल को 4.05 मि.ट. का अतिरिक्त ऑफर भी दिया है।

ii. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति की समस्याओं को हल करने के लिए तथा ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए जिसमें विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति का समाधान करना भी शामिल है, विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं, नियमित रूप से मिलते है।

iii. इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय; शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।

****